पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री सुनिल कुमार स्वामी पुत्र श्री बोदूराम स्वामी (विक्रेता व मालिक) निवासी गांव सूरतराम का बास, तन–बादवाड़ी वाया कांवट तह. खण्डेला सीकर मैसर्स गायत्री नेचुरल हन्नी सालासर बिहार, कांवट तह. खण्डेला, जिला सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 28.06.2019 को समय 07:30 पी.एम. पर अजीतगढ़ सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स गायत्री नेचुरल हन्नी, में अप्रार्थी श्री सुनिल कुमार स्वामी आम जनता को शहद विक्रय कर रहा था। अप्रार्थी से नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। अप्रार्थी सुनिल कुमार स्वामी से वर्ष 2019 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2019 होना बताया।

फर्म पर श्री सुनिल कुमार स्वामी द्वारा शहद का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 20 किलोग्राम शहद के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 1 किलोग्राम शहद खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 80 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1539 खाद्य पदार्थ शहद का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ शहद ... विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ... धारा 26 की उप

सुनील कुमार स्वामी
9928435121

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर एवं ... जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वारस्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 21,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner